न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सीता शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 151/2023 (Gcms No. 2023/518) दायर दिनांक : 02.08.2023

1. जगजीवनदास } पुत्रगण श्री बिहारीलाल जाति अरोड़ा निवासी श्योनाथपुरा
2. जगमोहनलाल } हाल आबाद मलोट, पंजाब।
3. चन्द्रमोहन (फौत) पुत्र श्री बिहारीलाल
   3/1. नवदीप } पुत्रगण श्री चन्द्रमोहन जाति अरोड़ा निवासी ग्राम
   3/2. अजय कुमार } श्योनाथपुरा हाल आबाद मलोट, पंजाब।
4. रविकुमार पुत्र स्व. श्री बिहारीलाल जाति अरोड़ा निवासी ग्राम श्योनाथपुरा हाल आबाद मलोट पंजाब।

......प्रार्थीगण

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनफूल जाति गुसांई निवासी झैदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955

उपस्थित:

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक प्रार्थीगण सं. 1 ता 4
2. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. तहसीलदार सूरतगढ़।

निर्णय **दिनांक : 24.06.2024**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित है पत्रावली का अवलोकन किया, विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.ए. 1955 विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 महेन्द्र कुमार प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से सहखाते में रोही श्योनाथपुरा के खाता सं. 19/11 जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के ख.स. 155/96 में 6.325 है. बारानी खातेदारी भूमि अंकित है। अप्रार्थी की रोही श्योनाथपुरा के ख.स. 220/96 में 12.650 है. भूमि है प्रार्थीगण का रकबा ख.स. 155/96 में है जिसे वे विनोद पुत्र श्री हरबंसलाल की मार्फत काश्त करवा रहे है इससे पूर्व इस भूमि को विनोद की मार्फत राजेन्द्र कुमार को काश्त पर दे रखी थी वर्तमान में उक्त भूमि पर बतौर खातेदार प्रार्थीगण का कब्जा है। ख.स. 155/96 में अप्रार्थी की कोई भूमि नहीं है फिर भी वह जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जबकि उसे कोई अधिकार नहीं है, प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. में निवेदन किया गया कि वाद चलन के दौरान यदि प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया गया और अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को जबरन भूमि से बेदखल कर दिया तो वाद का मकसद समाप्त हो जायेगा साथ ही यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी ने जबरन प्रार्थीगण की बोई फसल नष्ट कर दी व उसके तारबंदी, सोलर सिस्टम

क्रमशः पेज 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:58 IST
Reason: SelfAttested

जो कि खेत की सुरक्षा के लिए लगाए हुए थे वह भी अप्रार्थी जबरन ले गया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी प्रार्थीगण द्वारा सक्षम अधिकारी को दर्ज करवा दी प्रार्थीगण शांति प्रिय व्यक्ति है, मौका पर रोही श्योनाथपुरा के ख.स. 155/96 की 6.325 है. भूमि पर प्रार्थीगण का पूर्ण कब्जा है दस्तावेजी रिकॉर्ड से साबित है उनके पक्ष में प्राथमिक रूप से मामला बनता है, सुविधा व सन्तुलन उनके पक्ष में है, अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी की बनिस्पत कब्जा से बेदखल होने पर प्रार्थीगण को अधिक होगी व कानूनी पेचिदगियॉ बढ़ेगी, स्पष्ट रूप से अप्रार्थी को रोही श्योनाथपुरा के खसरा सं. 155/96 की 6.325 है. भूमि में प्रवेश का कतई अधिकार नहीं है इसलिए ता फैसला वाद अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण की भूमि रोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ के खसरा सं. 155/96 में कतई मदाखल नहीं करे इस हेतू ता फैसला वाद स्थगन आदेश विरूद्ध अप्रार्थी जारी करने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थीगण को इकतरफा सुनकर दिनांक 02.08.2023 को इस अमर का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद किया गया कि वह रोही श्योनाथपुरा के खाता सं. 19 के ख.स. 155/96 की 6.325 है. बारानी जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है में अप्रार्थी सं. 1 किसी प्रकार से हस्तक्षेप ना करे व ना ही अन्य किसी से करावे, साथ ही अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस अदालत में तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 कि ओर से अभिभाषक उपस्थित आये व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होनें बताया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत में कोई तारबंदी नहीं की गई प्रार्थीगण व अप्राथी सं. 1 की भूमि एक दूसरे से सटी हुई है प्रार्थीगण उसकी भूमि पर कब्जा करना चाहते है अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 में अंकित रोही श्योनाथपुरा के ख.स. 220/96 की 12.650 है. बारानी भूमि खातेदारी खरीद की हुई है उसी पर काबिज है। प्रार्थीगण ना तो किसान परिवार से है ना ही खुद काश्त करते है वे अप्रार्थी की भूमि को हड़पना चाहते है इसीलिए वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बाद आने जवाब तर्क सुने गये प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दस्तावेजी साक्ष्य से यह पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि उनके नाम से रोही श्योनाथपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 खाता सं. 19 नया 11 पुराना में ख.स. 155/96 में 6.325 है. बारानी खातेदारी अंकित है जिसे काश्त करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है, किसी अन्य व्यक्ति को इसमें प्रवेश करने का कतई अधिकार नहीं है प्रार्थी का कब्जा है, सुविधा वा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर पूर्व में जारी स्थगन आदेश ता फैसला वाद निर्णय करने की प्रार्थना की गई, साथ ही निवेदन किया कि दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रार्थीगण द्वारा

कमशः पेज 3 पर .....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र दिया गया है जिसका प्रति शपथ पत्र अप्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया इसलिए शपथ पत्र जो प्रार्थीगण द्वारा दिया गया है वह माना जाने योग्य है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी कि ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि पर वह कतई कब्जा नहीं करना चाहता, भूमि की सीमाएँ नपाई से ही तय होगी तब तक दोनों पक्षों को पाबंद करने की प्रार्थना की गई कि वे वर्तमान काश्त की सीमाओं में ही काश्त करें एक दूसरे की काश्त में हस्तक्षेप ना करे। इस हेतू स्थगन में संशोधन की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद पूर्ण पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष्य में पठन वा मनन करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण के नाम से रोही श्योनाथपुरा के ख.स. 155/96 में 6.325 है. बारानी खातेदारी भूमि दर्ज कागजात राज है जिसे काश्त करने का प्रार्थीगण को पूर्ण अधिकार है प्रार्थीगण व अप्रार्थी महेन्द्र कुमार की भूमि के खसरा अलग अलग है दोनों पक्ष अपने नाम अंकित भूमि में ही प्रवेश का अधिकार रखते है प्रार्थीगण ने अनुतोष मॉगा है कि अप्रार्थी प्रार्थीगण की भूमि वाके रोही श्योनाथपुरा ख.स. 155/96 की 6.325 है. भूमि जो प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है में ता फैसला वाद ना तो स्वयं किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे व ना ही किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से करावें, इसका उन्हें पूर्ण अधिकार दस्तावेजी रिकॉर्ड के अनुसार है शपथ पत्र भी इसी अनुसार प्रस्तुत किया है जिसका प्रति शपथ पत्र अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए शपथ पत्र को भी कानूनी रूप से मान्यता दी जानी आवश्यक है, प्रार्थीगण का इसी अनुसार प्राथमिक रूप से मामला बनता है, सुविधा व संतुलन उनके पक्ष में है, प्राकृतिक न्याय के अनुसार भी वाद निर्णय तक वाद दायरी की स्थिति यथावत् बनाई जानी आवश्यक है इस अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकृति योग्य बनता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी सं. 1 महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनफूल जाति गुसांई निवासी झैदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ पाबंद रहे कि वह रोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ के खसरा सं. 155/96 की 6.325 है भूमि जो प्रार्थीगण के नाम से अंकित है उसके कब्जा काश्त में ता फैसला वाद ना तो स्वयं प्रवेश करे व ना ही किसी अन्य से करावें। इस विषय में [illegible] का स्थगन आदेश दिनांक 02.08.2023 इसी अनुसार ता फैसला वाद आदेशित का पुष्ट किया जाता है।

आदेश 25.06.2024 को सुनाया गया, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:14:58 IST
Reason: SelfAttested